न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

चन्द्रमोहन बनाम मदनमोहन किस्म मुकदमा –223 (आदेश 7 नियम 11) अपील संख्या – 2025/18

अभिभाषक अपीलांट – श्री पोरस सिंह अपीलांट कम 2 व 3
श्री रघुवीर मीणा एवं श्री इकरामुद्दीन अपीलांट कम 1

अभिभाषक रेस्पोडेंट – श्री उत्पल शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.9.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण अपीलांट कम 1 तथा 2 व 3 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील विड्रा करने पर अभिभाषक अपीलांट कम 1 एवं अपीलांट कम 2 व 3 की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील नोट प्रेस पर खारिज किये जांने का भी निवेदन किया गया। अभिभाषक अपीलांट कम 1 ने दौराने बहस कथन किया कि चन्द्रमोहन ही वाद मे वर्णित आराजी का खातेदार/सहखातेदार है जिसे अपीलांट कम 2 द्वारा मानसिक विकलांग बताते हुए जर्ये वली/सरंक्षक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किये जाने पर वाद खारिज करने के उपरांत इस न्यायालय में भी अपीलांट कम 1 को मानसिक विकलांग बताते हुए अपीलांट कम 2 किरन द्वारा जरिये वली/सरंक्षक यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। जबकि अपीलांट कम 1 चन्द्रमोहन का मानसिक विकलांग होने से संबंधित कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र इस न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट कम 2 किरन द्वारा पेश नहीं किये है, इसके विपरीत अपीलांट कम 1 चन्द्रमोहन ने न्यायालय हाजा में स्वयं की उपस्थिति में अपनी अपील की पैरवी करने हेतु अपने अभिभाषक का वकालतनामा पेश किया है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा मानसिक विकलांगता से संबधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र के अभाव में स्वीकार किया गया। वर्तमान में विवादित आराजी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगंज जिला बारां में कृषि भूमि खाता संख्या 75 खसरा नं. 502/401 रकबा 0.26 हेक्टर वादी कम 1 चन्द्रमोहन की खातेदारी में एवं ग्राम सिलोद तहसील किशनगंज में खाता संख्या 68 खसरा नं. 402 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं. 424 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नं. 7 रकबा 2.22 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.84 हेक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा निहित होने से अपीलांट कम 2 किरन, अपीलांट कम 3 रोनक का वाद में वर्णित आराजी पर अपीलांट कम 1 चन्द्रमोहन के जीवित रहते कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें वाद लाने एवं अपील किये जाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अपील नोटप्रेस में खारिज की जाये। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा 2	

अभिभाषक अपीलांट कम 2 व 3 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट कम 2 व 3 अपीलांट कम 1 चन्द्रमोहन की पत्नी एवं पुत्र है जिसके उक्त आराजी पर हक अधिकार निहित है। अतः अपील नोट प्रेस में खारिज नहीं की जाकर मेरिट पर निर्णय किया जाये।

हमने अभिभाषक अपीलांटगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी चन्द्रमोहन जरिये वली/सरंक्षक, किरन पत्नी चन्द्रमोहन, किरन पत्नी चन्द्रमोहन एवं रोनक पुत्र चन्द्रमोहन नाबालिग जर्ये वली किरन पत्नी चन्द्रमोहन द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम बालापुरा तहसील किशनगंज जिला बारां में कृषि भूमि खाता संख्या 75 खसरा नं. 502/401 रकबा 0.26 हेक्टर वादी कम 1 चन्द्रमोहन की खातेदारी में एवं ग्राम सिलोद तहसील किशनगंज में खाता संख्या 68 खसरा नं. 402 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं. 424 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नं. 7 रकबा 2.22 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.84 हेक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में अंकित है जिसपर वादीगण मौके पर काबिज है, पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्ण वादीगण को काबिज काश्त करने देवे, उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि/स्वजनों से ऐसा करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया कि वादी चन्द्रमोहन के वकालत नामे पर एवं वाद पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं है जबकि चन्द्रमोहन विवादित आराजी का सहखातेदार है शेष वादीगण विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार नहीं है अर्थात किसी भी रिकार्डेड खातेदार की ओर से वाद पेश नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् चलने योग्य नहीं होने खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.12.2024 से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र सलंग्न नहीं है जिससे यह साबित हो कि चन्द्रमोहन मानसिक विकलांग है और ना ही अभिभाषक अपीलांट कम 2 व 3 द्वारा इस बाबत न्यायालय हाजा में कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र पेश किया है। विवादित आराजी के खातेदार अपीलांट कम 1 चन्द्रमोहन द्वारा जर्ये अभिभाषक दिनांक 19.05.2025 एक प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रॉ कर नोटप्रेस मे खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया तथा अभिभाषक

....3

अपीलांट कम 1 द्वारा दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय में अपीलांट चन्द्रमोहन की उपस्थिति में आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार/सहखातेदार ही नियमानुसार वाद पेश कर न्यायालय से सहायता प्राप्त कर सकता है तथा वाद/अपील में सुनवाई के किसी भी स्तर पर विड्रॉ अथवा नोटप्रेस में खारिज करवा सकता है।

अतः चन्द्रमोहन वाद मे वर्णित आराजी में रिकार्डेड खातेदार/सहखातेदार होने के कारण उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण नोटप्रेस में खारिज किये जाने के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नोट प्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा